



2026:AHC:17604

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 5381/2025

गिरिजा शंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: धीरेंद्र सिंह, संतोष कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आवाहन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ किया है:-

"I. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर चकबंदी अधिकारी सदर-I, मऊ, जिला: मऊ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए कि वाद संख्या 170/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 2025541551 56030170 (पूर्व वाद संख्या 969/2015-16) चंद्रभूषण एवं अन्य बनाम राज्य, जो उ.प्र.च.जो.अ., 1953 की धारा 9ए(2) के अंतर्गत है, की सुनवाई हो और उसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाए।"

- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छः माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।

5. यह अपेक्षित है कि इसे विधि के अनुसार, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विनिश्चित किया जाए।

6. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

22 जनवरी, 2026

प्रियंका